न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः— 172/18(RCMS No.2018/00189) (75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. रामदयाल 2. मोहन लाल 3. हरीराम 4. हंसराज पुत्र मदन लाल 5. बसन्ती पत्नि काना राम	पुत्रान कानाराम	जाति बैरवा निवासी बोरिफ तहसील व जिला सवाई माधोपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. राजवाई 2. रूकमणी 3. सरस्वती 4. तुलसा पुत्री मदन लाल उर्फ माना 5. प्रेमराज पुत्र मोती लाल (मृतक) 5/1. श्रीमती बरफी वेवा प्रेमराज 5/2. दीपू 5/3. गोलू	पुत्रीया कानाराम पिसरान प्रेमराज नावालिग जरिये संरक्षक माता श्रीमती बरफी वेवा प्रेमराज	जाति बैरवा निवासी बौरिफ तहसील व जिला सवाई माधोपुर जाति बैरवा बौरिफ तहसील व जिला सवाई माधोपुर

.....तरतीवी रैस्पो0

6. सरकार जरिये तहसीलदार सवाई माधोपुर
7. सचिव, नगर विकास न्यास, सवाई माधोपुर

.....असल रैस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध निर्णय उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर निर्णय दिनांक 03.08.2018

उपस्थितिः—

1. श्री श्याम मोहन शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री विष्णु सोमानी वकील रैस्पो सं0 5 के वारिसान की ओर से

निर्णय **दिनांकः— 21.12.2018**

यह अपील भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत उप जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के निर्णय दिनांक 03.08.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलान्ट व रैस्पो0 सं0 1 लगायत 5 ने अधीनस्थ न्यायालय में इन्द्राज दुरूस्ती का एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया था कि प्रार्थीगण/अपीलान्ट व रैस्पो0 सं0 1 लगायत 5 विवादित आराजी ख0 नं0 1723/80 रकवा 4 बीघा 6 विस्वा वांके ग्राम आलनपुर के स्वामित्व की आराजी है। साबिक ख0 नं0 1723 रकवा 643 बीघा 13 विस्वा बहुत बडा नम्बर है। नक्शा ट्रेस में तरमीम नही हो रही है जबकि ख0 नं0 1723 की लगभग रकवा 630 बीघा खातेदारी में दर्ज है। भू प्रबन्ध विभाग ने साबिक ख0 नं0 1723 रकवा 643 बीघा 13 विस्वा के लगभग 384 खसरा नम्बर बनाये हैं। बन्दोवस्त के खसरा के अनुसार अपीलान्ट के गत ख0 नं0 1723/80 रकवा 4 बीघा 6 विस्वा के हाल ख0 नं0 2570 रकवा 16 एयर, 2571 रकवा 19 एयर, 2572 रकवा 16 एयर, 2580 रकवा 06 एयर, 2581 रकवा 06 एयर, 2582 रकवा 15 एयर, 2583 रकवा 08 एयर, 2600 रकवा 23 एयर कुल किता– 8 रकवा 1.09 हैक्टेयर बनाये हैं। जो कि वर्तमान में अन्य खातेदारान की खातेदारी भूमि के सहारे सहारे ग्राम आलनपुर की सीमा पर बना दिये हैं। प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कभी कब्जा नही रहा है। प्रार्थीगण हाल ख0 नं0 2781 रकवा 0.78 हैक्टेयर पर काबिज हैं। प्रार्थीगण का कब्जा कदीमी समय से हाल ख0 नं0 2781 रकवा 78 एयर पर चला आ रहा है जिसको सिवायचक दर्ज कर दिया है। बन्दोवस्त विभाग को कब्जे के अनुसार तरमीम कर ही ख0 नं0 बनाने चाहिये थे। अतः प्रार्थीगण का इन्द्राज ख0 नं0 2781 रकवा 0.78 हैक्टेयर पर किया जावे तथा प्रार्थीगण के नाम दर्ज किता 8 रकवा 1.09 हैक्टेयर को सिवायचक दर्ज किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की जिसके अनुसार प्रार्थीगण का हाल ख0 नं0 2781 रकवा 78 एयर पर कब्जा बताया जो सिवायचक दर्ज है तथा नामा0 सं0 2319 दिनांक 01.10.14 से नगर विकास न्यास स0 मा0 के नाम दर्ज होना अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना कि मात्र कब्जे के आधार पर खातेदारी नही दी जा सकती है। धारा 136 के तहत केवल लिपिकीय त्रृटियों को ही शुद्ध किया जा सकता है, खातेदार घोषित नही किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इस निर्णय के विरूद्ध यह अपील पेश की गयी है।

नगर विकास न्यास सवाई माधोपुर की तामील हो चुकी है परन्तु बाबजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नही आये। विद्वान वकील अपीलान्ट एवं रैस्पो0 सं0 1 लगायत 5 की बहस सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलान्ट एवं रैस्पो0 सं0 5 का तर्क है कि अपीलान्ट विवादित आराजी ख0 नं0 1723/80 रकवा 4 बीघा 6 विस्वा वॉके ग्राम आलनपुर का खातेदार दर्ज रिकार्ड है। जिसके हाल ख0 नं0 2570 रकवा 16 एयर, 2571 रकवा 19 एयर, 2572 रकवा 16 एयर, 2580 रकवा 06 एयर, 2581 रकवा 06 एयर, 2582 रकवा 15 एयर, 2583 रकवा 08 एयर, 2600 रकवा 23 एयर कुल किता– 8 रकवा 1.09 हैक्टेयर बनाये हैं। जबकि अपीलान्ट का कब्जा उनके पूर्वजों के समय से हाल ख0 नं0 2781 रकवा 78 एयर पर चला आ रहा है। जिसे सिवायचक दर्ज कर दिया है। तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट दिनांक 22.03.17 के अनुसार साबिक ख0 नं0 1723 के हाल ख0नं0 कुल किता– 8 रकवा 1.09 हैक्टेयर पर कानाराम का 1/3 हिस्सा, मदन लाल का 1/3 हिस्सा एवं प्रेमराज पुत्र मोती का 1/3 हिस्सा है। जमाबन्दी सं0 2027 से 2030 तक मूल्या पुत्र देवा बैरवा के नाम दर्ज रही है। उक्त आराजी हाल ख0 नं0 पर कभी भी अपीलान्ट का कब्जा नही रहा है। अपीलान्ट का कब्जा हाल ख0 नं0 2781 रकवा 78 एयर पर है, जो साबिक ख0 नं0 1723 से बना है। तहसीलदार की रिपोर्ट से यह साबित है कि अपीलान्ट का कब्जा हाल ख0 नं0 2781 पर ही है। इस प्रकरण में रिपोर्ट दिनांक 14.12.16 में भी पटवारी हल्का ने यह माना है कि अपीलान्ट के नाम दर्ज खसरा नम्बर के बजाय ख0 नं0 2781 रकवा 78 एयर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। तत्पश्चात दिनांक 21.02.17 को प्राप्त रिपोर्ट से भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य था। उनका तर्क है कि अपीलान्ट के पास के खातेदार लक्ष्मीनारायण पुत्र नन्दा बैरवा जिसके साबिक ख0 नं0 1723/81 के हाल ख0 नं0 2778, 2779 बनाये गये है जो सही बनाये है। अपीलान्ट का ख0 नं0

1723/80 है तथा हाल ख0 नं0 2781 रकवा 78 पर काबिज काश्त है। दोनों की खातेदारी की मेड़ मिली हुई है परन्तु भू प्रबन्ध विभाग ने अधिकार क्षेत्र के बाहर अपीलान्ट को अन्य जगह दर्शा दिया है। अपीलान्ट व रैस्पो0 सं0 1 लगायत 5 अपने पूर्वजों के समय से ही उसी स्थान पर आज दिनांक तक काबिज काश्त हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा प्रार्थीगण अपीलान्ट एवं रैस्पो0 सं0 1 लगायत 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हाल ख0 नं0 2781 रकवा 78 एयर पर इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

हमने अपीलान्ट व रैस्पो0 संख्या 5 के विद्वान अभिभाषकों की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार सवाई माधोपुर की राजस्व रिकार्ड एवं मौके की रिपोर्ट दिनांक 22.03.2017 का अवलोकन किया। जिसके अनुसार जमाबन्दी सं0 2027 से 2030 में गल्या पुत्र देवा के नाम साबिक ख0 नं0 1723/80 रकवा 4 बीघा 6 विस्वा की खातेदारी दर्ज है। सं0 2031 लगायत 2047 तक की जमाबन्दी में गल्या के स्थान उसके वारिसान काना, मदन, मोती पिता गल्या के नाम दर्ज होकर निरन्तर इन्द्राज चले आ रहे हैं। इसके बाद काना, मदन व मोती के वारिसान के नाम दर्ज रिकार्ड हुई है। साबिक ख0 नं0 1723 रकवा 643 बीघा 13 विस्वा का था जिसके अनेक हाल ख0 नं0 बने हैं। राजस्व रिकार्ड के अनुसार अपीलान्ट के साबिक ख0 नं0 1723 के हाल ख0 नं0 2570 रकवा 16 एयर, 2571 रकवा 19 एयर, 2572 रकवा 16 एयर, 2580 रकवा 06 एयर, 2581 रकवा 06 एयर, 2582 रकवा 15 एयर, 2583 रकवा 08 एयर, 2600 रकवा 23 एयर कुल किता– 8 रकवा 1.09 हैक्टेयर बने हैं। जमाबन्दी सं0 2070 से 2073 के अनुसार काना, मदन व मोती के वारिसान के नाम दर्ज है। पटवारी हल्का ने उपरोक्त हाल ख0 नं0 पर कभी भी उनका कब्जा काश्त नही बताया गया है। उपरोक्त खातेदारों का कब्जा हाल ख0 नं0 2781 रकवा 78 एयर पर ही है जो साबिक ख0 नं0 1723 से बने हैं तथा जो वर्तमान में राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2070 से 73 में सिवायचक किस्म बारानी दर्ज है एवं नामा0 सं0 2319 दिनांक 01.10.14 से नगर विकास न्यास स0 मा0 के नाम दर्ज हुई है। पटवारी की रिपोर्ट दिनांक 14.12.2016 में भी अपीलान्ट का कब्जा हाल ख0 नं0 2781 रकवा 78 पर होना स्पष्ट है न कि हाल ख0 नं0 2570 रकवा 16 एयर, 2571 रकवा 19 एयर, 2572 रकवा 16 एयर, 2580 रकवा 06 एयर, 2581 रकवा 06 एयर, 2582 रकवा 15 एयर, 2583 रकवा 08 एयर, 2600 रकवा 23 एयर कुल किता– 8 रकवा 1.09 हैक्टेयर पर। ऐसी स्थिति में तहसीलदार व पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट व रैस्पो0 सं0 1 लगायत 5 का हाल ख0 नं0 2781 रकवा 78 एयर पर काबिज होना जाहिर है। जहॉ तक खातेदारी का प्रश्न है। अपीलान्ट का अलग से खातेदारी नही दी जा रही है बल्कि काबिज स्थान पर दुरूस्ती की जा रही है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट व रैस्पो0 सं0 1 लगायत 5 के नाम ख0 नं0 2781 रकवा 0.78 है0 पर दर्ज कर दुरूस्ती किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.08.18 निरस्त किया जाता है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विवादित आराजी ख0 नं0 2781 रकवा 0.78 एयर पर अपीलान्ट रामदयाल, मोहन लाल, हरीराम पिसरान कानाराम बसन्ती पत्नि कानाराम एवं रैस्पो0 राजवाई, रूकमणी व सरस्वती पुत्रियां कानाराम बहिस्सा बराबर 1/3, अपीलान्ट हंसा व रैस्पो0 तुलसा पुत्रियां मदन लाल उर्फ माना बहिस्सा बराबर 1/3, एवं रैस्पो0 सं0 5 प्रेमराज के वारिसन श्रीमती बरफी वेवा प्रेमराज तथा दीपू व गोलू पिसरान प्रेमराज नावालिग संरक्षक माता श्रीमती बरफी 1/3 बहिस्सा बराबर जाति वैरवा सा0 बोरिफ का नाम दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे तथा ख0 नं0 2570 रकवा 16 एयर, 2571 रकवा 19 एयर, 2572 रकवा 16 एयर, 2580 रकवा 06 एयर, 2581 रकवा 06 एयर, 2582 रकवा 15 एयर, 2583 रकवा 08 एयर, 2600 रकवा 23 एयर कुल किता– 8 रकवा 1.09 हैक्टेयर को नगर विकास

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यास सवाई माधोपुर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। तहसीलदार को निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मं दुरूस्ती की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुबीर कुमार)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official